BIHAR STATE MILK CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०
COMFED

सं0:कॉम्फेड:पर्स: ५५५१२ दिनांक–8/8/15

आदेश

श्री राजेन्द्र पासवान, चालक, कॉम्फेड(मु0)पटना को वरीय पदाधिकारी, श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता (अभि0) के साथ किये गये दुर्व्यवहार के आरोप में आदेश संख्या–1259 दिनांक–28–02–2015 द्वारा निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय राँची डेयरी, राँची रखा गया था ।

कॉम्फेड, मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी के साथ किये गये दुर्व्यवहार एवं आदेश की अवहेलना के आरोप में फेडरेशन की सेवा नियमावली के नियम–49 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु आदेश संख्या–1974 दिनांक–08–04–2015 द्वारा श्री सुशांत शरण, प्रबन्धक (लेखा), कॉम्फेड, मुख्यालय को जॉच पदाधिकारी तथा श्री देवब्रत कुण्डु, उप प्रबन्धक (ऑप0), कॉम्फेड, मुख्यालय को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आरोपी कर्मचारी को निदेश दिया गया कि वे पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर अपने बचाव में लिखित सफाई तथा साक्ष्य जॉच पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें ।

आरोपी कर्मचारी द्वारा दी गई सफाई में आरोपों को अस्वीकार किए जाने के फलस्वरूप मामले की जॉच एवं सुनवाई विभिन्न तिथियों को की गई । आरोप पत्र में वर्णित आरोप प्रभारी, यान के शिक़ायत पत्र पर आधारित है, जिसके सत्यापन हेतु उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दूरभाष पर वार्त्तालाप की रिकॉर्डिंग एवं लौग बुक को साक्ष्य के रूप में उपस्थापित करने को कहा गया, परन्तु दोनों साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी प्रस्तुत करने में असफल रहे । उक्त शिकायत पत्र में वर्णित आरोपों की सत्यता को प्रमाणित करने में स्वयं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोपी द्वारा समर्पित लिखित बचाव पत्र पर मंतव्य दिया गया कि "श्री पासवान (आरोपी) एवं श्री अजय कुमार सिंह (शिकायतकर्त्ता) के सफाई से यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों के दूरभाष वार्त्तालाप के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी ।

जॉच पदाधिकारी की विवेचना से स्पष्ट है कि उपस्थापन पदाधिकारी भी आरोपीं के विरूद्ध की गई शिकायत का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए । अतएव श्री राजेन्द्र पासवान, चालक पर विभागीय आदेश संख्या–1974 दिनांक–08–04–2015 द्वारा गठित आरोप पर दी गई सफाई, स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य एवं प्रस्तुत गवाहों के बयान के आधार पर प्रमाणित नहीं पाया गया ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री पासवान को भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, की चेतावनी देते हुए निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन (जीवन यापन भत्ते के रूप में भुगतान की गई राशि को समायोजित करते हुए) भुगतान का आदेश के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

07/08/15
प्रबन्ध निदेशक ।

संबंधित कर्मचारी

प्रतिलिपि : परामर्शी (अभि0), मुख्यालय ।
: प्रबन्धक (लेखा), मुख्यालय ।
: प्र0नि0प्र0, मुख्यालय ।

Sudha
PRIDE OF BIHAR
DAIRY DEVELOPMENT COMPLEX, P.O.- BIHAR VETERINARY COLLEGE, PATNA - 800 014 (BIHAR)
डेयरी डेवलॉपमेंट कॉम्पलेक्स, पो०- बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना - 800 014 (बिहार)
Phone / दूरभाष : 2224083, 2228953, 2228347, 2220387, Fax : 0612 - 2228306
E-Mail : comfed.patna@gmail.com Website : www.sudha.coop